

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272415  
SG-DL-E-11052026-272415असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 38
No. 124]	DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948	[N. C. T. D. No. 38

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2026

फा. सं. 25(2)/89- स्वा0 एवं परि0 कल्या0/खण्ड II/पार्ट फाइल-1/717.— दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 (1956 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, एतद् द्वारा उक्त खंड के अंतर्गत रिक्तियों के निमित्त निम्नलिखित दो निर्वाचित प्रैक्टिशनरों को दिल्ली होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

क्र. सं.	नाम एवं पता
1	डॉ० केवल कृष्ण जुनेजा, एफ-21, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
2	डॉ० संदीप कैला,

सी-2/48, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
-------------------------------------

इन सदस्यों का कार्यकाल सदस्य के रूप में निर्वाचित करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर  
नीरज गुप्ता, उप-सचिव

## DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2026

**F. No. 25(2)/89-H&FW/Vol.II/ Pt File-1/717.**— In exercise of powers conferred under sub-section (2)(a) of section 3 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956 (Delhi Act No 11 of 1956) read with the Delhi Homoeopathic (Amendment) Act 1996 (Delhi Act no 11 of 1996), the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following two elected candidates as member of Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi:-

S. No.	Name & Address
1	Dr. Kewal Krishan Juneja, F-21, Preet Vihar, Delhi-110092.
2	Dr. Sandeep Kaila, C-2/48, Janakpuri, New Delhi -110058.

The terms of all members shall be for a period of Three years from the date of election as a member.

By Order & in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
NEERAJ GUPTA, Dy. Secy.